बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
!! आदेश !!

पटना, दिनांक .....

आदेश संख्या 12/मु०–29/2015 ...../ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 19031/2015 श्यामानन्द आजाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2016 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 28.10.2016 को इस वाद के वादीगण को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। वादीगण द्वारा सुनवाई के दौरान मौखिक एवं लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. वादीगण प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति (कुल 151), विभागीय आदेश संख्या 485 दिनांक 23.07.2013 द्वारा राज्य के विभिन्न सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में मात्र एक वर्ष के लिए की गयी। इनकी प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित व्यवस्था के आधार पर की गई थी :–

(i) प्रतिनियुक्ति विस्तारित करने का निर्णय सेवा संतोषप्रद रहने पर अलग से लिया जाएगा।

(ii) प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित व्याख्याताओं का वेतन भुगतान पदस्थापित प्रशिक्षण संस्थान में किया जाएगा, किन्तु प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रतिनियुक्त व्याख्याताओं को अविलम्ब विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त व्यवस्था के अधीन उनमें से शेष प्रतिनियुक्त रह गए व्याख्याता को विभाग द्वारा एक वर्ष का प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तार प्रदान किया गया है।

3. वादीगण ने सुनवाई के क्रम में सूचित किया कि NCTE Regulation, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर उनका चयन हुआ, जिसके आधार पर वे सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर स्थायी सामंजन चाहते हैं। सुनवाई के क्रम में यह पृच्छा की गई कि वर्णित परिस्थितियों में इस प्रकार के सामंजन को कोई प्रावधान सरकार द्वारा है या नहीं?

4. जबकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में की जा रही व्याख्याता नियुक्ति में बिहार शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 28 (ii) के अनुसार " शेष 50% पदों पर नियुक्ति राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षकों, जिनकी सेवा अवधि 3 वर्षो से कम की न हो तथा पद के लिए निर्धारित अर्हता धारित करते हों, से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षो की छूट अनुमान्य होगी " इस सम्बंध में कार्रवाई की जा रही है।

5. इसके अतिरिक्त सभी कोटि के उम्मीदवारों को 04 वर्षो की अधिकतम आयु में छूट भी प्रदान की गई है। साथ ही प्रतिनियुक्त व्याख्याता को सीधी नियुक्ति में भी शामिल होने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार वादीगण को आयु सीमा एवं निर्धारित योग्यता के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु प्रावधान किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या– 6/2016, 7/2016 एवं 8/2016 दिनांक 14.05.2016 द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिनकी अनुभव 03 वर्षो से कम नहीं तथा निर्धारित योग्यता रखते हैं, उनसे 530 रिक्त पदो के लिए आवेदन की मांग की गई है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अर्हित एवं अनर्हित उम्मीदवारां की सूची Website पर प्रकाशित कर उम्मीदवारों से आपत्ति भी प्राप्त की जा चुकी है एवं परीक्षा का आयोजन शीघ्र सम्भावित है।

6. वादीगण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में भाग न लेकर, सीधे सरकार द्वारा नवसृजित स्थायी पद पर उच्चतर वेतनमान (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड–पे 4800, 04 वर्षो के बाद 5400) के विरूद्ध सामंजन चाहते हैं। इस प्रकार का सामंजन नियुक्ति में "Back Door Entry" का प्रयास होगा, जो भारतीय सविधान के अनुच्छेद–14 के विपरीत होगा।

7. अतः समीक्षोपरांत वादीगण के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/–

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–12/मु०–29/2015 465/ पटना, दिनांक 22/11/2016

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रतिनियुक्त व्याख्याता/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित एवं आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव